कार्यालयः— जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर (म०प्र०)

//विविध आदेश//

क्रमांक—क्यू/कोराना/2020 नरसिंहपुर दिनांक—04.05.2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक—क्यू 12 दिनांक 04.5.2020 के पालन में इस कार्यालय द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक—क्यू/कोरोना/2020 नरसिंहपुर, दिनांक 02.5.2020, अवकाश के दिनों के लिए अर्जेट मामलों की सुनवाई हेतु की गई व्यवस्था को बचाते हुए, निरस्त किया जाता है।

इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश क्रमांक—क्यू/12 के अनुसार Urgent Cases के साथ—साथ ऐसे केस भी संबंधित न्यायालय द्वारा सुनवाई में लिए जायेंगे, जो अंतिम निराकरण, अंतिम सुनवाई, आदेश, निर्णय, रिमाण्ड, जमानत आवेदन पत्र, क्रिमिनल रिवीजन एवं सिविल अपील आदि से संबंधित है तथा जिन प्रकरणों में पक्षकारगण की उपस्थिति आवश्यक नहीं है तथा उनकी सुनवाई केवल अधिवक्तागण के माध्यम से बिना कोई मौखिक साक्ष्य लिए की जाना है, उनमें सुनवाई की जा सकेगी।

प्रकरणों में सुनवाई पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की जायेगी। वीडियो कांफ्रेसिंग के फेल होने की स्थिति में, आवश्यक होने पर, उभयपक्ष की सहमति से प्रस्तुत लिखित अंतिम तर्क के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। पक्षकारगण को यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रकरण में आगामी तिथि की जानकारी हेतु उन्हें न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से सी.आई.एस. साफ्टवेयर का प्रयोग कर आगामी तिथि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

उक्त आवश्यक कार्य के निष्पादन हेतु संबंधित पीठासीन न्यायाधीश न्यायालय में पदस्थ स्टाफ में से सीमित संख्या में रोटेशन (Rotation) के आधार पर बुला सकेंगे। शेष कर्मचारीगण मुख्यालय पर स्थित अपने—अपने आवास पर उपस्थित रहेंगे। आवश्यकता होने की स्थिति में आहूत किए जाने पर कार्य निष्पादन हेतु उपस्थित होंगे।

संबंधित अनुभाग के प्रभारी ऐसे लंबित कार्य को सीमित स्टाफ के माध्यम से निष्पादित करा सकेंगे, जिसमें जनता से सीधे व्यवहार अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाहियों के दौरान Social distancing का पालन अनिवार्य किया जायेगा।

इस संबंध में पक्षकारगण/अधिवक्तागण/कर्मचारीगण/पुलिस एवं अन्य विभागों से संबंधित अधिकारीगण व कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है कि वे ~~जिला~~ न्यायालय परिसर में ~~जिला~~ न्यायालय के आदेशों के पालन में यदि उपस्थित होते है तो "कोरोना वायरस कोविड—19" के संक्रमण से बचाव हेतु मॉस्क लगाकर उपस्थित हो, सेनेटाईजर का प्रयोग करें, आपस में न्यूनतम 01 मीटर दूरी बनाये रखे एवं इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एडवायजरी का

Scanned with CamScanner

सख्ती से पालन करें।

जो अभिभाषकगण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त परिधि में आने वाले मामलों की सुनवाई चाहते है वे Vidyo App के माध्यम से संबंधित न्यायालय से अथवा जिला न्यायालय की ई–मेल आई.डी. dcourtnar-mp@nic.in पर आवेदन प्रस्तुत करके अथवा वीडियो कांफ्रेसिंग रूम में स्थित बारकेट में अपना आवेदन पेश करके आगामी नियत मामलों की सुनवाई के लिए तिथि निश्चित करा सकते हैं।

दिनांक 05 मई, 2020 से **सभी न्यायालयों** द्वारा आगामी आदेश तक न्यायालयीन कार्य प्रातः 11.00 बजे से 02.00 बजे तक संपादित किया जायेगा। कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से 02.00 बजे तक रहेगा।

संलग्नः– रजिस्ट्री परिपत्र क्र.–क्यू/12
जबलपुर दिनांक 04.5.2020

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर

पृष्ठांकन क्यू/कोराना/20 नरसिंहपुर दिनांक–02.05.2020

प्रतिलिपिः–

01– माननीय रजिस्टार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02– प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय नरसिंहपुर ।
03– समस्त न्यायाधीशगण, नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि वे प्रति सप्ताह शनिवार को प्रगति प्रतिवेदन आवश्यक रूप से कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
04– जिला कलेक्टर, नरसिंहपुर
05– पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर
06– जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर
07– अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कि वे कृपया समस्त अधिवक्तागण को उक्त परिपत्र से अवगत करावे।
08– लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नरसिंहपुर/गाडरवारा
09– जिला अभियोजन अधिकारी/सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, नरसिंहपुर/गाडरवारा
10– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर की ओर प्रेषित कि थर्मल स्केनिंग करने वाले कर्मचारी को प्रातः 10.30 बजे से न्यायालयीन कार्य समाप्त होने तक उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
11– मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नरसिंहपुर की ओर प्रेषित कि न्यायालय समय पश्चात् प्रतिदिन न्यायालय परिसर को सेनेटाईज करावे।
12– सिस्टम ऑफीसर नरसिंहपुर/सिस्टम असिस्टेंट, गाडरवारा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं जिला न्यायालय की ई मेल आई डी पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
13– अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर समस्त कर्मचारीगण को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर

Scanned with CamScanner